

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 408 / 2013
संस्थान दिनांक 30.07.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

सरदार पिता हसन, आयु 42 वर्ष
निवासी- ग्राम मेहगौव डेब,
थाना अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 26.10.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 168 / 2013 अंतर्गत 279, 337, 338 भा.द.सं. में दिनांक 30.07.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 12.06.2013 को रात्रि 7:30 बजे दिनेश के ढाबे के सामने सेमल्दा फाटे पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम. के. 7580 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत रूपेश को टक्कर मारकर मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से आहत रूपेश को घोर उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 12.06.2013 की रात्रि 7:30 बजे फरियादी सुखलाल दिनेश के ढाबे के सामने खड़ा था। फरियादी का पुत्र रूपेश मोटरसाईकिल लेकर घर से रसवा डेब जा रहा था, जैसे ही फरियादी का पुत्र ढाबे के सामने पहुँचा कि सामने से सेमल्दा की ओर से अभियुक्त सरदार उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही

पूर्वक चलाकर लाया और रूपेश को टक्कर मार दी जिससे दोनों गिर गये तथा रूपेश को सीधे पैर में चोंटें आई व अभियुक्त सरदार को भी चोंटें आई। प्रायवेट वाहन से दोनों को अस्पताल ले गये वहाँ से उन्हें बड़वानी चिकित्सा हेतु ले गये। पुलिस ने फरियादी सखाराम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर सरदार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 168/2013 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी सखाराम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने कमल के पेश करने पर वाहन मोटरसाइकिल एम.पी. 41 एम.के. 7580 मय दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति के जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने रितेश की निशांदेही से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 8476 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.06.2013 को रात्रि 7:30 बजे दिनेश के ढाबे के सामने सेमल्दा फाटे पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम.के. 7580 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत रूपेश को टक्कर मारकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से आहत रूपेश को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी सुखलाल (अ.सा.1), रूपेश (अ.सा.2), कमल (अ.सा.3), रितेश कुमार (अ.सा.4), अशोक सिसोदिया (अ.सा.5), नन्दु (अ.सा.6), डॉ. महेश अग्रवाल (अ.सा.7), उपनिरीक्षक पुलिस आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.8) एवं पण्डू (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी रूपेश अ.सा 2 का कथन है कि दिनांक 12.09.2013 को रात्रि 7:00-7:30 बजे की घटना है। दिनेश के ढाबे के पास दुर्घटना हुई थी। घटना वाले दिन वह ग्राम रसवा डेब जा रहा था। अभियुक्त सरदार मोटरसाइकिल से सामने से मदिरापान कर लहराते हुए चलाकर ला रहा था तब उसने अपनी मोटरसाइकिल को सड़क किनारे खड़ी कर दी थी, फिर भी अभियुक्त ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे पैर में चोट आई थी जिससे अस्थि भंग हुआ था। उसका ईलाज बड़वानी अस्पताल फिर गुजरात के बड़ौदा अस्पताल में हुआ था उसके पिता ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके विरुद्ध भी मोटरसाइकिल से सरदार को टक्कर मारने का प्रकरण बनाया था, जिसमें उसने मंजूर कर लिया था और न्यायालय ने उसमें उसे 1200/- रुपये का जुर्माना लगाया था। उसके खिलाफ अभियुक्त ने दुर्घटना का क्लेम केस भी लगाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पिताजी मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा 10 मिनट पश्चात् आये थे तब वह वही पर था। उसे अभियुक्त की मोटरसाइकिल का क्रमांक नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने वाहन तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करने का केस मंजूर कर लिया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध दुर्घटना का क्लेम प्रस्तुत किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने कोई दुर्घटना नहीं की अथवा उसने क्लेम प्राप्त करने के लिए उसने उसके विरुद्ध असत्य प्रकरण लगाया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस को प्रदर्शनी 2 के कथन में अभियुक्त मदिरापान कर लहराते हुए मोटरसाइकिल लेकर आया बताया था। यदि पुलिस ने नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है।

8. सुखलाल असा 1 ने भी उसके पुत्र को अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल से दुर्घटना में चोट पहुँचाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त मदिरापान कर तेज गति से चलाकर मोटरसाइकिल लाया था और रूपेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिससे अस्थि भंग हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर प्रदर्शनी 1 की लिखाई थी, जिसके ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्रदर्शनी 2 का नमूना मौका पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह घर पर था, उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी और अभियुक्त कैसे मोटरसाइकिल चलाकर लाया था, उसने नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना की सूचना उसे उसके भाई त्रिलोकचंद ने दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पुत्र के विरुद्ध भी पुलिस ने दुर्घटना का प्रकरण बनाया, जिसमें उसके पुत्र ने स्वीकार कर लिया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्शनी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्शनी 2 में यह बताया था कि अभियुक्त मदिरापान कर मोटरसाइकिल चलाकर लाया और रोड़ से नीचे उतार कर उसके पुत्र को टक्कर मार दी थी, पुलिस ने उक्त बात क्यों नहीं लिखी वह कारण नहीं बता सकता है।

9. रितेश कुमार असा 4, अशोक सिसोदिया असा 5 तथा नन्दु असा 6 ने भी दुर्घटना में अभियुक्त एवं फरियादी दोनों को चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त एवं रूपेश की मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई थी और वह गिर गये थे। नन्दु असा 6 का यह भी कथन है कि दुर्घटना अभियुक्त की गलती से हुई थी। अभियुक्त उसकी मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाकर लाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी नन्दु असा 6 ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि रूपेश एवं सरदार आपस में मोटरसाइकिल सहित तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाये और आपस में टकरा गये थे। रितेश असा 4 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी और वह दुर्घटनास्थल पर नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। अशोक असा 5 ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। उसने अभियुक्त द्वारा मदिरापान करने की बात भी पुलिस को नहीं बताई थी।

10. कमल असा 3 का कथन है कि अभियुक्त उसका भाई है उसके पास हीरोहोण्डा कम्पनी की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम.के. 7580 थी जो अभियुक्त लेकर गया था। अभियुक्त की मोटरसाइकिल को सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शनी 3 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. डॉ. मेहश अग्रवाल असा 7 का कथन है कि दिनांक 12.06.2013 को उसने महामृत्युंजय अस्पताल बड़वानी में रूपेश पिता सुखलाल के दाहिने पैर का एक्सरे परीक्षण करने पर उसकी टीबिया फीबुला अस्थि में भंग होना पाया था तथा अपना एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है।

12. पण्डु असा 9 का कथन है कि उसने दिनांक 14.06.13 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 168/13 में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम.के. 7580 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं होना पाई थी। साक्षी ने अपना यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 भी प्रमाणित किया है।

13. उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई असा 8 का कथन है कि उसने दिनांक 13.06.13 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 168/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी की निशांदेही से नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसके अभियुक्त के भाई कमल के पेश करने पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम. के. 7580 दस्तावेजों सहित प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किया था तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ई. 8476 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया था तथा उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटनास्थल व्यस्त मार्ग है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा मदिरापान करने का उल्लेख नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन नहीं लिये थे अथवा असत्य विवेचना की है।

14. इस प्रकार रूपेश असा 2 ने प्रतिपरीक्षण में स्वयं स्वीकार किया कि इसी घटना के संबंध में लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटना करने का प्रकरण बना था जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे न्यायालय से रुपये 1200/- का जुर्माना भी हुआ था तथा उसने अभियुक्त के विरुद्ध क्लेम प्रकरण लगाया है तथा अभियुक्त ने भी उसके विरुद्ध लगाया है। अभियुक्त के अधिवक्ता ने फरियादी के विरुद्ध दर्ज थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 169/13 प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उक्त निर्णय में पारित दिनांक 26.08.13 की प्रतिलिपि पेश की है। शेष अभियोजन साक्षियों ने भी यह स्वीकार किया कि फरियादी एवं अभियुक्त की आमने-सामने टक्कर हुई थी और उन दोनों को भी चोटें आई थी। आर.एस. मण्डलोई असा 8 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि अभियुक्त के मेडिकल परीक्षण में मदिरापान करने का उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, स्थान व समय पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम.के. 7580

को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपलेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर रूपेश का मानव जीवन संकटापन्न किया अथवा उसने घोर उपहति कारित की बल्कि रूपेश एवं साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त एवं फरियादी दोनों की आमने-सामने से टक्कर हुई थी, जिसमें उन दोनों को चोंटें आई थी तथा दोनों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। यहाँ तक कि फरियादी ने अपने विरुद्ध बने उक्त आपराधिक प्रकरण में अपराध करना भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में फरियादी रूपेश द्वारा उक्त आपराधिक प्रकरण में की गई स्वीकारोक्ति से भी अभियोजन का उक्त मामला शंकास्पद हो जाता है कि अभियुक्त सरदार ने लोकमार्ग पर तेज गति या लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर रूपेश को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त सरदार के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 279, 338 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम. के. 7580 दिनांक 14.06.2013 को उसके पंजीकृत स्वामी कमल विरले पिता हसन विरले, निवासी-दुर्गानगर देवास म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी